न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 06/2022

प्रार्थी :–

सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

ब ना म्

अप्रार्थी :–

रेखा पिति पुत्री वेदप्रकाश पित्ति जाति अग्रवाल निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, मुद्रित मेंशन के पीछे पाल लिंक रोड़ जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी एवं पूसाराम चौधरी

दिनांक 10.06.2025

–: आदेश :–

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शिकारपुरा के खसरा नं. 667/20 रकबा 2.3298 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। जिस भूमि का अप्रार्थी द्वारा कृषि उपयोग नही लिया जाकर उस पर विधि विरूद्ध तरीके से खनन कार्य किया जाना पाया गया है जिस कारण अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को सरकारी भूमि मे दर्ज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त भूमि अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि अवश्य है किन्तु उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कभी भी कोई अकृषि कार्य नही किया गया एवं ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई खनन कार्य किया गया है। प्रार्थी को इस संबंध मे किसी प्रकार की कोई जानकारी पूर्व मे नही थी। अप्रार्थी के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज होने पर अप्रार्थी को सर्वप्रथम इन तथ्यो की जानकारी हुई। वास्तविकता मे इस क्षेत्र मे वर्तमान मे अवैध खनन की कार्यवाही बहुत अधिक बढ गयी है एवं भू-माफिया एवं खनन माफिया द्वारा अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि से अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे दाण्डिक विविध याचिका प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उक्त एफ.आई.आर मे पुलिस अधिकारी द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा जो मौका रिपोर्ट बतायी जा रही है उक्त मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व अप्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई एवं ना ही अप्रार्थी की उपस्थिति मे ऐसा कोई मौका देखा गया। अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे बजरी माफिया के व्यक्तियो द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने की नियत से बजरी खनन का कार्य किया जा रहा है जिस संबंध मे अप्रार्थी ने दिनांक 20.01.2024 तथा 22.01.2024 को तहसीलदार महोदय, पुलिस थाना, खनिज मंत्री तथा राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर अवैध खनन करने वाले भू माफिया एवं बजरी मफिया के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया जा चुका है। अंत मे अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नही किये जाने के कारण एवं ऐसे अवैध खनन से अप्रार्थी स्वयं को नुकसान होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी के खेत पर हो रहे अवैध खनन कार्य को रूकवाया जावे। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ दस्तावेज एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने बहस उभय पक्षकारान् सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं लिखित बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे कहा गया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। जबकि अप्रार्थी की ओर से इसका खण्डन करते हुए स्वयं द्वारा किसी प्रकार का अवेध खनन नही करने एवं भू माफिया एवं बजरी माफिया द्वारा अवैध रूप से अप्रार्थी की भूमि पर खनन करने के कारण उसमे अप्रार्थी किसी प्रकार दोषी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का निरीक्षण किया जिसमे अप्रार्थी द्वारा स्वयं विभिन्न सरकारी महकमो एवं पुलिस थाना तथा प्रार्थी स्वयं के पास इस संबंध मे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसकी भूमि पर भू माफिया एवं बजरी माफिया के व्यक्तियो द्वारा उसकी अनुपस्थिति मे अवैध खनन

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भी अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे बनायी गयी है जिससे यह सिद्व नही हो रहा है कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध खनन किया गया हो। अप्रार्थी के विरूद्व दर्ज एफ.आई.आर मे भी पुलिस थानाधिकारी द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत कर दी है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी यह साबित करने मे पूर्णतः असफल रहे है कि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि अप्रार्थी स्वयं द्वारा किसी प्रकार का कोई खनन कार्य किया जा रहा हो। किसी अन्य भू माफिया एवं बजरी माफिया के व्यक्तियो द्वारा किये गये किसी भी अवैध कृत्य हेतु अप्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार की कोई विपरीत कार्यवाही की जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्व होगी और ऐसी किसी भी कार्यवाही से अप्रार्थी को उसके द्वारा किसी प्रकार का अवैध कार्य नही किये जाने के बावजूद उसके मूलभूत अधिकारो का हनन नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्व निराधार होने के कारण निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(पुखराज कासौटिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी